संख्या-68/2025/001-698-24-1-2025-17 पी0सी0-2001 टी0सी0 1

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी,

उत्तर प्रदेश ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 22 अगस्त, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के विघटन से पूर्व कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानैवृत्तिक सुविधाएं हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, (ट्रस्ट), उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट के पत्र संख्या-17011/2025/13/Trust/PC/2019, दिनांक 09 जुलाई, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य विद्युत परिषद के विघटन के पूर्व सेवानिवृत्त अथवा परिषद के विघटन के पूर्व से कार्यरत परन्तु बाद में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानैवृत्तिक सुविधाओं के लिए प्राविधानित धनराशि रूपये 4800,00,00,000/- (रुपये अडतालिस अरब मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 32,00,00,00,000/- (रूपये बत्तीस अरब मात्र) को कोषागार को आवांटित करने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उपरोक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपभोग उसी मद के भुगतान हेतु किया जायेगा।

(2) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि को माह अगस्त, 2025 से माह मार्च, 2026 तक संलग्न सूची के अनुसार समस्त कोषाधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 32,00,00,00,000 (रुपये बत्तीस अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 2071012000300 राज्य विद्युत परिषद के विघटन पूर्व कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा नैवृत्तिक सुविधायें **मानक मद** 33 पेंशन/आनुतोषिक/अन्यसेवानिवृत्ति हितलाभ के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-41-X-2025-26-दिनांक:19-8-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

संख्या-68/2025/001-698-24-1-2025-17 PC-2001 TC 1, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज – 211001

3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-11), उ०प्र०, आडिट भवन, टी0सी0-35- वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, राज्य एकक, योजना भवन, लखनऊ।

7- निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 10 / वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।